न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)
प्रकरण संख्या – 359/2023
अनवान : –

1. गुरमुख पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी
–तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त० अधि० 1955

उपस्थिति :– श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 17/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स० 151/153 के ख०न० 1 की 4.8060 हैक्ट भूमि में से 65/534 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम सुखराम उर्फ गुरमुख पुत्र पेमा दर्ज हैं जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ हैं वादी का सही व वास्तविक नाम गुरमुख पुत्र पेमाराम दर्ज है जो की वादी के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है अत वादी के दस्तावेजो के मुताबिक वादी का नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम सुखराम उर्फ गुरमुख पुत्र पेमा दर्ज हैं जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम गुरमुख पुत्र पेमाराम है जो की वादी के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है अत वादी के दस्तावेजो के मुताबिक वादी का नाम सुखराम उर्फ गुरमुख पुत्र पेमा के स्थान पर गुरमुख पुत्र पेमाराम दर्ज किया जावे। वाद वादी डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स० 151/153 के ख०न० 1 की 4.8060 हैक्ट भूमि में से 65/534 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि में वादी का नाम सुखराम उर्फ गुरमुख पुत्र पेमा दर्ज है एवं वादी द्वारा सुखराम उर्फ गुरमुख पुत्र पेमा के स्थान पर गुरमुख पुत्र पेमाराम दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वादी द्वारा कथन किया गया है कि वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम गुरमुख पुत्र पेमाराम है लेकिन वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.06 11:28:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

पेश नही किया गया है एवं वादी का नाम सुखराम उर्फ गुरमुख पुत्र पेमा दिनांक 04.04.2022 को न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना में दर्ज हुआ है इसलिए वादी पुनः इस न्यायालय में अनुतोष पाने का अधिकारी नही है वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के अभाव में वाद वादी स्वीकार योग्य नही है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...17/09/25... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.06 11:28:13 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 359/2023

अनवान : –

1. गुरमुख पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 359 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण वाद वादी वाद वादी खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/09/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.06 11:28:13 IST
Reason: SelfAttested